न्यायालय, म. प्र. राजस्व मंडल केन्द्र, ग्वालियर

नि - 2782-PBR-16

करणसिंह पि0बापूसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत धंधा खेती नि0ग्राम सेमली तह0 व जि0 आगरमालवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

1.कन्हैयालाल पि0 घीसाजी उम्र 40 वर्ष जति बलाई नि0ग्राम सेमली तह0 व जि0 आगर मालवा म0प्र0

2.म0प्र0 शासन

प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री संजय भटनागर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 30/7/16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

73
30/7/2016

पुनरिक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0सन् 1959 ,प्र0क0 40अ2/15. 16 में नायब तहसीलदार महो0कानड़ जि0आगर के आदेश से किये सीमांकन दि015.6.16 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निम्नवत निगरानी प्रस्तुत है –

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क्र0 1 द्वारा ग्राम सेमली टप्पा कानड़ जि0 आगर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 146 रकबा 1.20 हे0 के सीमांकन करने बाबत उप तहसील कानड़ में आवेदन प्रस्तुत किया ,उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार महो0कानड़ द्वारा आवेदित भूमि का सीमाकंन करने हेतु राजस्व निरिक्षक एवं ग्राम पटवारी को पड़ोसी काश्तकारों की उपस्थिति में सीमाकंन करने हेतु आदेश दिया ।

आदेश के पालन में राजस्व निरिक्षक एवं ग्राम पटवारी द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन दि0 15.6.16 को किया गया जिससे असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

निगरानी के आधार

1.यह कि निगरानी नियत न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है ।

2.यह कि निगरानी नियत समयावधि में प्रस्तुत है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2782-पीबीआर/16 **जिला** - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	